न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 27/2018

1. धर्मकौर पुत्री गोपी जाति अहीर निवासी डूम्हेडा तहसील तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 हाल पत्नि अजीत सिंह निवासी ग्राम नंगलीगोधा तहसील व जिला रेवाडी(हरि0)

:———अपीलांट / वादनी

बनाम

1 चावली बेवा गोपी (फौत) ——— हजफ किया गया
2 आजादसिंह पुत्र पूरणसिंह
3 पूरणचन्द पुत्र गोपी जाति अहीर निवासी डूम्हेडा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0
4 राज0 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, कोटकासिम

:——— असल रेस्पो0 / प्रतिवादीगण

5 हुकमचन्द पुत्र श्योदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम डूम्हेडा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:——— तरतीबी रेस्पो0 / प्रतिवादी

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम दिनांक 13.3.2018

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री दिनेश यादव

2. वकील असल रेस्पो0 :– श्री निर्मल जैन

निर्णय दिनांक 12.2.2021

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा राजस्व वाद संख्या 526 एसीएएम–2013/221–2010 में पारित निर्णय दिनांक 13.3.2018 के खिलाफ है, जिस निर्णय के द्वारा प्रार्थीया वादनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 खारिज करते हुये वाद पत्र को अबेटमैंट में खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में इस प्रकार है कि वादनी धर्मकौर ने तहत अदालत में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 व 188 आर0 टी0 एक्ट प्रस्तुत किया

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

कि वादग्रस्त भूमि पैत्रिक है, जिसमें वादिया का 1/3 भाग निहित है, परन्तु वादिया के पिता गोपी ने चालाकी से विरासत के माध्यम से सम्पूर्ण भूमि अपने नाम करा ली । वादिया को 1/3 भाग का खातेदार घोषित किया जावे । दौराने विचारण वाद वादिया ने तहत अदालत में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी0 पी0 सी0 यह कहते हुये प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी गोपी फौत हो गया है, जिसके विधिक वारिसान पहले से ही रेकार्ड पर है । इसलिये गोपी का नाम हजफ किया जावें । इस प्रार्थना पत्र का जवाब प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया और इसके बाद तहत अदालत ने उभयपक्ष को सुनकर निर्णय दिनांक 13.3.2018 द्वारा वादिया प्रार्थीया का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करते हुये अबेटमैंट में वाद पत्र खारिज किया है, जिसके खिलाफ वादिया ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

3 बहस में विद्वान वकील वादिया अपीलांट का कथन है कि तहत अदालत में हमारे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 का प्रतिवादी रेस्पो0 ने जवाब उल प्रस्तुत किया था । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि प्रार्थना पत्र का कोई जवाब उल नहीं होता है । केवल वाद पत्र का ही जवाब उल होता है । जिस समय प्रार्थना पत्र तहत अदालत में प्रस्तुत किया गया था, उस समय वादनी उपस्थित नहीं थी । इसलिये मृतक गोपी की पत्नि चावली का नाम सहवन से दर्ज होने से रह गया था । अन्य वारिसान पहले से ही रेकार्ड पर मौजूद है । अतः ऐसी स्थिति में वाद पत्र को अबेट नहीं किया जाना चाहिये था । नरम रूख अपनाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर करना चाहिये था । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि प्रतिवादी गोपी की मृत्यु दिनांक 30.6.2016 को हुई थी । 90 दिन के अन्दर वारिसान को रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया । इसलिये वाद पत्र स्वतः ही अबेंट हो गया । मृतक गोपी की जायज वारिस उसकी पत्नि वाद दायरी के समय जिन्दा थी, उसको वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया । इसलिये वाद पत्र डिफेक्टिव है । इतना ही नहीं, वादनी अपीलांटा ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 में चावली को रेकार्ड पर लेने की प्रार्थना नहीं की । देरी को कंडोन कराने का दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना भी प्रस्तुत नहीं किया । ना ही अबेटमैंट को निरस्त कराने का प्रार्थना पत्र दिया । शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है । प्रस्तुत अपील में चावली को रेस्पो0 संख्या 01 के रूप में पक्षकार बना दिया । जबकि वह तहत अदालत में पक्षकार ही नहीं थी ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

इस प्रकार यह अपील भी डिफेक्टिव है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । तहत अदालत में प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4, जो कि दिनांक 23.11.17 को प्रस्तुत किया गया है, में वादिया अपीलांट ने निवेदन किया है कि प्रतिवादी नम्बर 01 गोपी का देहान्त हो चुका है और उसके वारिसान पहले से ही रिकार्ड पर है, इसलिये गोपी का नाम हजफ किया जावे । प्रार्थना पत्र के साथ गोपी का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है, जिसमें गोपी की मृत्यु की दिनांक 30.6.16 अंकित है । इस प्रार्थना पत्र में गोपी की पत्नि चावली को रेकार्ड पर लेने की प्रार्थना नहीं की गई है, जिसके सम्बन्ध में वादिया अपीलांटा का कथन है कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय वह तहत अदालत में उपस्थित नहीं थी । इस कथन के सम्बन्ध में हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र पर वादिया अपीलांटा के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं है । केवल वकील के हस्ताक्षर है । वकील को जितनी जानकारी थी, उसी के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया । अगर वकील का सम्पर्क वादिया अपीलांटा से हो जाता और वह तहत अदालत में उपस्थित हो जाती तो शायद चावली को रेकार्ड पर लेने की प्रार्थना की जाती । वकील की गलती की सजा पीडित पक्षकार को नहीं दी जानी चाहिये । जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है । इसके अतिरिक्त माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया है कि प्रकरण को तकनीकी बिन्दू पर खारिज नहीं किया जाना चाहिये, बल्कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । लिहाजा उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन की रोशनी में प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने हेतु हम प्रकरण को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.3.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो वाद पत्र में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर वाद पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दिनांक 12.03.2021 को उपस्थित हों ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर